कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

05 नि॰/अंके॰ (चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)–24/12

विभागीय आदेश संख्या–833 दिनांक 04.02.2016 द्वारा राज्य के दिनांक 31.03.2015 तक के अंकेक्षित पैक्सों का वैधानिक अंकेक्षण वैसे सनदी लेखाकारों से एक अभियान चलाकर कराये जाने का निर्णय लिया गया है जो निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश संख्या–328 दिनांक 15.01.2015 एवं आदेश संख्या–5839 दिनांक 15.09.2015 द्वारा सूचीबद्ध है।

उक्त विभागीय आदेश संख्या–328 दिनांक 15.01.2015 द्वारा सूचीबद्ध सनदी लेखाकार को वैधता तिथि 03.03.2016 है एवं आदेश संख्या–5839 दिनांक 15.09.2015 द्वारा सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों की वैधता तिथि 30.09.20 है।

उक्त आदेश संख्या–328 दिनांक 15.01.2015 द्वारा सूचीबद्ध सनदी लेखाकार द्वारा उनकी वैधता तिथि 03.03.2016 के बाद उनके द्वारा किये जाने वाले पैक्सों के वैधानिक अंकेक्षण की मान्यता नहीं रह पायेगी।

अतः विशेष परिस्थिति में उपरोक्त विभागीय ओदश संख्या–833 दिनांक 04.02.2016 द्वारा लिये गये निर्णय को सफल बनाने के उद्देश्य से आदेश संख्या–328 दिनांक 15.01.2015 द्वारा विभागीय पैनल में सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों की वैधता तिथि 03.03.2016 से विस्तारित करते हुए दिनांक 31.05.2016 की जाती है।

2.3.16

(अजय कुमार चौधरी)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 1580 / पटना, दिनांक 02.3.16

प्रतिलिपि :– 1. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/विभागीय पैनल के सभी सनदी लेखाकार/राज्य के सभी पैक्स अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी कम्प्यूटर कोषांग को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को ई–मेल द्वारा संसूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2.3.16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 1580 / पटना, दिनांक 02.3.16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2.3.16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना

D:\Santosh Kumar\Adesh 833.doc